# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 2025 / | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11 / 71 / 2025 | 2025 / 323 | 24.07.2025 | 20.08.2025 |

1– आस मौहम्मद पुत्र भूरू जाति मेंव, निवासी ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 24.06.2025 नामान्तकरण संख्या 721 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री अब्दूल कलाम — वकील अपीलान्ट

## –:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 721 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 24.06.2025 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 64 रकबा 0.15 है0, 70 रकबा 0.06 है0, 71 रकबा 0.03 है0, किता 3 रकबा 0.24 है0 में से 7 / 16 भाग, 363 रकबा 1.74 है0, में से 35 / 276 भाग, 445 रकबा 0.63 है0 में से 7 / 8 भाग कुल क्षेत्रफल 0.8848 है0 भूमि वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजी मिन अपीलान्ट की माता, बहन, खतीजा, बस्सी, रिहाना, सुपैदी, सुमरी, समीना, हकीमन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, आराजी की रिलीजडीड मिन अपीलान्ट की बहन व माता ने मिन अपीलान्ट के हक में दिनाक 25.04.2025 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 25.04.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 621 में पृष्ट संख्या 90 क्रंम संख्या 202503359100704 पर पंजिबद्व कराया गया है। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल रिलीजडीड पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 721 दिनाक 12.05.2025 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास के नाम भरा जाकर वास्ते निर्णय हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनाक 24.06.2025 को नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया कि According To Patwari Report And Attached Decoument are mismatch so mutation is not acceptable नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा स्वंय ही उक्त रिलीजडीड दिनाक 25.04.2025 को तस्दीक की गयी जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया लेकिन तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण को गलत रूप से खारिज किया गया है। नामान्तकरण के लिए रिलीजडीड एक मात्र दस्तावेज होता है, अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नही थी, लेकिन तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण को गलत रूप से खारिज किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि हाल आराजी खसरा न0 64 रकबा 0.15 है0, 70 रकबा 0.06 है0, 71

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

रकबा 0.03 है0, किता 3 रकबा 0.24 है0 में से 7/16 भाग, 363 रकबा 1.74 है0, में से 35/276 भाग, 445 रकबा 0.63 है0 में से 7/8 भाग कुल क्षेत्रफल 0.8848 है0 भूमि वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास। आराजी — अपीलान्ट की माता, बहन, खतीजा, बस्सी, रिहाना, सुपैदी, सुमरी, समीना, हकीमन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, आराजी की रिलीजडीड —अपीलान्ट की बहन व माता ने — अपीलान्ट के हक में दिनाक 25.04.2025 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 25.04.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 621 में पृष्ट संख्या 90 क्रंम संख्या 202503359100704 पर पंजिबद्व कराया गया है। बाद पंजियन — अपीलान्ट द्वारा असल रिलीजडीड पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 721 दिनाक 12.05.2025 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास भरा जाकर वास्ते निर्णय हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनाक 24.06.2025 को नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया कि According To Patwari Report And Attached Decoument are mismatch so mutation is not acceptable नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 721 पंजिबद्व दस्तावेज संख्या 202503359100704 दिनाक 25.04.2025 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 12.05.2025 को भरा गया है, प्रकरण में पेश पंजिबद्व दस्तावेज संख्या 202503359100704 दिनाक 25.04.2025 के अनुसार अपीलान्ट की बहन व माता के द्वारा अपने हिस्से की आराजी अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करने हेतु सहमति दी गयी है, जिसके आधार पर ही पटवारी हल्का द्वारा सही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, लेकिन तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण को गलत रूप से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.06.2025 नामान्तकरण संख्या 721 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)